चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तो के कब्जे से 36 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कन्नौजिया थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट तथा उनके हमराही आरक्षी ललित सोनी द्वारा अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र रामप्रताप निवासी हरीसनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 16 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा उनके हमराही आरक्षी मनीष यादव द्वारा अभियुक्त अजमत उल्ला पुत्र सकुर अहमद निवासी वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकाश कुमार-I द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 196/2021 धारा 302,34 भादवि0 की आरोपी अभियुक्ता पूजा उर्फ बुधनी पत्नी स्व0 होरीलाल निषाद निवासी अम्बिका कुंज तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.बद्दू उर्फ बदलू पुत्र साधू उर्फ लल्लू निषाद निवासी कैरा का पुरवा मजरा बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.05.2021 को वादी लालबाबू पुत्र पन्ना निषाद निवासी अम्बिका कुंज तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनके भाई होरीलाल की पत्नी पूजा उर्फ बुधनी उपरोक्त ने उनके मामा के लड़के बद्दू उर्फ बदलू उपरोक्त के साथ मिलकर उनके भाई होरीलाल उम्र 35 वर्ष के मुंह में कपड़ा ठूंस कर व सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 196/2021 धारा 302,34 भादवि0 बनाम पूजा उर्फ बुधनी व बद्दू उर्फ बदलू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 30.06.2021 को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 02.08.2021 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी

अभियुक्त हलीम पुत्र मो0 सलीम निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनाँक 21.09.2024 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील राजापुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री निष्ठा उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल, प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी,चौकी प्रभारी गनीवा श्री यदुवीर सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक-21.09.2024 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा तथा उनके हमराही पीआरडी हरीकृष्ण द्वारा मु0नं0 4793 धारा 406,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त दीपक उर्फ अवध नरेश द्विवेदी पुत्र मुन्ना उर्फ नारायण निवासी बराछी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनकी टीम उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा, आरक्षी सतीश कुमार द्वारा मु0नं0 83/2016 धारा 363,366,376डी,342,368,370,504,506 भादवि0 व 3(1)ब,2द,ध एससी/एसटी एक्ट व 06 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र चन्द्रशेखर निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(9). आज दिनाँक 21.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में थाना कोत0 कर्वी, थाना भरतकूप के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण करने,महिला सम्बन्धित मुकदमों में अपहृताओं की जल्द से जल्द बरामदगी,पेण्डिग प्रार्थना पत्र, आईजीआरएस,वारण्टी वांछित गिरफ्तारी आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। अर्दली रूम के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण सिंह एवं समस्त विवेचकगण उपस्थित रहें।

(10). आज दिनाँक-21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चैकिंग की गयी ।इस दौरान 02 पहिया 04 पहिया,ट्रक,डम्फर आदि वाहनों की चैकिंग की गयी जिसमें 02 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट, 03 सवारी तथा अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने व 04 पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट लगाये चालकों को चेक किया गया । चेकिंग के दौरान ड्रिंक एण्ड ड्राइव कर गाड़ी चलाने वाले चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी, 02 ट्रक को दोष पूर्ण नम्बर प्लेट,ओवर लोडिंग पाये जाने व 04 टैम्पों को ओवर लोड सवारी,बिना लाइसेन्स में पाये जाने पर सीज की कार्यवाही की गयी। अनियमित पाए गये 118 वाहनों का 2,86,400 रुपये का ई-चालान किया गया।